प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 16.09.2025

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा गुमशुदा व्यक्तियों की बरामदगी हेतु चलाए गए विशेष अभियान के अन्तर्गत एक माह में कुल 21 गुमशुदा व्यक्तियों को बरामद कर उनके परिवार से मिलाया गया।

गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट द्वारा विगत माह **15 अगस्त 2025 से 15 सितम्बर 2025** तक कमिश्नरेट के समस्त थानों में गुमशुदा बच्चों एवं व्यक्तियों की बरामदगी हेतु एक **विशेष अभियान** चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य गुमशुदा व्यक्तियों को शीघ्रता से खोजकर उनके परिजनों से मिलाना तथा समाज में सुरक्षा एवं विश्वास की भावना को सुदृढ़ करना था। इस अभियान के दौरान सम्बन्धित थानों के अधिकारी/कर्मचारीगणों की साहयता से 06 नाबालिक (बालक एवं बालिकाएं), 09 महिलाओं सहित कुल 21 गुमशुदा व्यक्तियों को सकुशल बरामद कर नियमानुसार उनके परिवारजनों को सुपुर्द किया गया।

श्रीमान पुलिस आयुक्त गाजियाबाद द्वारा उक्त अभियान के अन्तर्गत महिला एवं बाल सुरक्षा को विशेष प्राथमिकता देते हुए सम्बन्धित अधिकारीगणों एवं थाना प्रभारियों को गुमशुदा व्यक्तियों के प्रकरणों में तत्परता से समीक्षा करने तथा नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

पुलिस टीमों द्वारा अभियान के दौरान तकनीकी संसाधनों जैसे सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल ट्रैकिंग, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग आदि का प्रभावी उपयोग किया गया तथा स्थानीय सूचना तंत्र, बीट पुलिसिंग और सामुदायिक सहयोग को अभियान में शामिल किया गया। जिस कारण गुमशुदा व्यक्तियों की त्वरित एवं सकुशल बरामदगी में अपेक्षित सफलता प्राप्त हुई है।

अभियान के अन्तर्गत बरामद किये गये कुल व्यक्तियों का जोनवार संख्यात्मक विवरण निम्न प्रकार है-

क्र. सं.	जोन	बरामद किये गये कुल व्यक्तियों की संख्या
1	नगर	5
2	ट्रांस हिण्डन	7
3	ग्रामीण	9
कमिश्नरेट गाजियाबाद		**21**

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा चलाया गया यह विशेष अभियान न केवल गुमशुदा व्यक्तियों की बरामदगी में सफल रहा, बल्कि समाज में पुलिस के प्रति विश्वास और सुरक्षा की भावना को भी सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध

हुआ है। इस प्रकार की कार्यवाही **अनवरत रूप से जारी रहेगी**, जिससे भविष्य में भी गुमशुदा व्यक्तियों की शीघ्र पहचान एवं बरामदगी सुनिश्चित की जा सके।

गुमशुदगी से सम्बन्धित प्रकरणों में सामुदायिक सहभागिता जिसमें स्थानीय नागरिक एवं महत्वपूर्ण इकाइयों के सहयोग से त्वरित एवं सुलभ सफलता प्राप्त होती है तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का अधिकतम उपयोग जैसे मोबाइल ऐप्स और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी सहायक है। नागरिकों से अपील है कि इस प्रकार के प्रकरणों में त्वरित एवं बिना किसी झिझक के स्थानीय थानों में सूचना दें तथा पुलिस का सहयोग करें।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा ई-रिक्शा चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 ई-रिक्शा बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 03.09.2025 को थाना साहिबाबाद पर वादी सुमित श्रीवास्तव द्वारा लिखित तहरीर दी और बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरा ई-रिक्शा दिनांक 15/16.09.2025 की रात्रि को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान ई-रिक्शा चोरी करने वाले 02 अभियुक्त 1. दीपक उर्फ छपरी पुत्र बाबू निवासी गली नं0 03 मिश्रा हलवाई के वीच वाली गली नन्दग्राम थाना नन्दग्राम जिला गाजियाबाद मूलपता गांव बरौला खैर अड्डा थाना खैर जिला अलीगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष व 2. सचिन उर्फ छोटू पुत्र रामऔतार निवासी म.नं.420 दीनदयालपुरी आश्रम रोड नन्दग्राम मूलपता गांव लतीफनगर थाना बन्थरा जिला लखनऊ उम्र करीब 24 वर्ष को नागद्वार मोहननगर से चोरी का 01 ई-रिक्शा सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 303(2) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार दोनों अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि दोनों अभियुक्त उपरोक्त ने दिनांक 31.08.2025 को श्रीराम गली के पास सिटी फॉरेस्ट ग्राम करहेड़ा से चोरी किया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. दीपक उर्फ छपरी पुत्र बाबू निवासी गली नं0 03 मिश्रा हलवाई के वीच वाली गली नन्दग्राम थाना नन्दग्राम जिला गाजियाबाद मूलपता गांव बरौला खैर अड्डा थाना खैर जिला अलीगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष।
2. सचिन उर्फ छोटू पुत्र रामऔतार निवासी म.नं.420 दीनदयालपुरी आश्रम रोड नन्दग्राम मूलपता गांव लतीफनगर थाना बन्थरा जिला लखनऊ उम्र करीब 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- चोरी का 01 ई-रिक्शा बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार दोनों अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना साहिबाबाद चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 27.08.2025 को थाना मसूरी पर वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 04 नामजद व्यक्तियों द्वारा वादी के भाई पर लाठी डण्डों से जान से मारने की नियत से हमला कर जान से मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मसूरी पर तत्काल धारा 352/351(3)/109(1)/115(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 16.09.2025 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त दानिश पुत्र रियाज निवासी ग्राम ढवारसी थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष को थाना क्षेत्र मसूरी से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि हमारा वादी से झगडा हो गया था जिसमें वादी के भाई के गम्भीर चोट आयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम व पता –

दानिश पुत्र रियाज निवासी ग्राम ढवारसी थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त दानिश के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मसूरी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

कार्यवाही करने वाली टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

साइबर सेल थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 50,000/- रुपये की धनराशि वापस करायी गयी।

दिनांक 10.08.2025 को साइबर सेल थाना कौशाम्बी कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा आवेदक साहिल कुमार निवासी सैक्टर-3 वैशाली थाना कौशाम्बी कमिश्नरेट गाजियाबाद के साथ ऑनलाइन 3-D मॉडल प्रोडक्ट बुक करने के नाम पर साइबर फ्रॉड कर ठगी की गयी। जिसके क्रम में साइबर सेल थाना कौशाम्बी कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा आवेदक के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गयी कुल धनराशि 50,000/- रूपये को वापस कराया गया।

कार्यवाही का विवरणः-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना कौशाम्बी कमिश्नरेट गाजियाबाद को एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से दिनांक 10.08.2025 को आवेदक साहिल कुमार निवासी सैक्टर-3 वैशाली थाना कौशाम्बी कमिश्नरेट गाजियाबाद के साथ ऑनलाइन साइबर फ्रॉड कर 3-D मॉडल प्रोडक्ट बुक करने को लेकर 50,000/- रू0 की ठगी करने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई थी। साइबर सेल थाना कौशाम्बी कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद आज दिनांक 16.09.2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशि 50,000/-रू0 वापस करायी गयी।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीमः-

साइबर सेल थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा थानों में रखे माल का निस्तारण करने सम्बन्धी अभियान के अन्तर्गत कमिश्नरेट के समस्त थानों के कुल 281 अभियोगों से सम्बन्धित कुल 1902.426 कि0ग्रा0 मादक पदार्थों (अनुमानित कीमत 10 करोड़ 45 लाख 19 हजार 785 रुपये) का निपटान/विनिष्टिकरण किया गया।

कमिश्नरेट गाजियाबाद के थानों के मालखानों में काफी समय से काफी मात्रा में माल मादक पदार्थ यथा- चरस, गांजा, अफीम कोडीन युक्त कफ सीरप आदि जमा थे, जिनके निस्तारण करने के लिए दिनांक 16.09.2025 से 30.09.2025 तक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज अभियान के अंतर्गत पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा उच्च स्तर पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध/मुख्यालय (अध्यक्ष), अपर पुलिस उपायुक्त अपराध (सदस्य). व अपर पुलिस उपायुक्त यातायात (सदस्य) तथा जोन स्तर पर तीनों पुलिस उपायुक्त अध्यक्ष तथा सहायक पुलिस आयुक्त अपराध (सदस्य) व सहायक पुलिस आयुक्त महिला अपराध (सदस्य) के नेतृत्व में ड्रग डिस्पोजल कमेटियों गठित की गई थीं। उच्च स्तरीय कमेटी व तीनों ड्रग डिस्पोजल कमेटियां तथा नारकोटिक्स सेल के अधिकारी/कर्मचारीगण के प्रयास से थानों के मालखानों में रखे मादक पदार्थो का आज दिनांक 16.09.2025 को निस्तारण/विनष्टीकरण की कार्यवाही माननीय न्यायालय की अनुमति/विभागाध्यक्ष की अनुमति तथा सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना नियन्त्रक से एन0ओ0सी0 प्राप्त करने के पश्चात की गई। कमिश्नरेट गाजियाबाद की उच्च स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा थाना कौशाम्बी के मालखाने में दाखिल 1498.200 लीटर कोडीन युक्त नशीला कफ सीरप प्रतिबन्धित मात्रा होने के कारण विनष्टीकरण किया गया। नगर जोन की ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा 199.640 कि0ग्रा0 गांजा, 1.250 कि0ग्रा चरस, 7.400 कि0ग्रा डोडा, 0.714 कि0ग्रा स्मैक, 0.797 कि0ग्रा0 नशीला पाउडर

तथा 2.186 कि0ग्रा0 नशीली गोलियों का डिस्पोजल किया गया। तथा 1.460 कि0ग्रा0 अफीम को सरकारी अफीम व क्षारोद कारखाना गाजीपुर में जमा कराया जा रहा है। ग्रामीण जोन की ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा 35.370 कि0ग्रा0 गांजा, 38.240 कि0ग्रा0 डोडा, 12.600 कि0ग्रा0 चरस, 3.381 कि0ग्रा0 नशीला पाउडर व 1.354 कि0ग्रा0 नशीली गोलियों, डिस्पोजल/विनष्टीकरण किया गया तथा 4.760 कि0ग्रा0 अफीम को सरकारी अफीम व क्षारोद कारखाना गाजीपुर में जमा कराया जा रहा है तथा ट्रांसहिंण्डन जोन की ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा 74.097 कि0ग्रा0 गांजा, 11.845 कि0ग्रा0 डोडा, 2.000 कि0ग्रा0 हैरोइन, 0.044 कि0ग्रा0 स्मैक तथा 0.399 कि0ग्रा नशीला पाऊडर व 0.889 कि0ग्राम नशीली गोलियों का डिस्पोजल किया गया। तथा ट्रांस हिंण्डन जोन ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा 4.800 कि0ग्रा0 अफीम को सरकारी अफीम व क्षारोद कारखाना नियन्त्रक गाजीपुर में जमा कराया जा रहा है, समस्त अफीम (11.020 कि0ग्रा0) का सरकारी अफीम व क्षारोद कारखाना गाजीपुर में प्रयोग दवाईयां बनाने में किया जायेगा। उक्त अभियान के तहत आज दिनांक 16.09.2025 को उपरोक्त सम्पूर्ण माल माननीय न्यायालय की अनुमति व विभागाध्यक्ष की अनुमति से उच्च स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी के अध्यक्ष अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध/मुख्यालय व सदस्यों की मौजूदगी में तथा तीनों ड्रग डिस्पोजल कमेटियों के अध्यक्ष व सदस्यों की मौजूदगी में M/S Vijay Gupta, Environ Waste Connection LLP, Plant Address:- MG Road Industrial Area, Dhoulana, Hapur में सम्बन्धित थानों के प्रभारी अधिकारी/कर्मचारीगण (हैड मौहर्रिर) द्वारा सभी मानक पूर्ण करते हुए विनिष्टीकरण/निस्तारण किया गया। उच्च स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी तथा तीनों जोन स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटियों द्वारा नष्ट किये गये कुल **माल 1891.406 कि0ग्रा0** की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत **10 करोड़ 12 लाख 13 हजार 785 रुपये** है। इतने अधिक मात्रा में थानों में रखे माल -मादक पदार्थों के निस्तारण से थाना परिसर एवं मालखाना के साफ-सफाई में सकारात्मक सुधार स्पष्ट रूप से परिलक्षित होगा। तथा कमिश्नरेट गाजियाबाद से सरकारी अफीम व क्षारोद कारखाना गाजीपुर में जमा कराई गई **अफीम – 11.020 कि0ग्रा**0 की अनुमानित मूल्य- **33 करोड़ 6 हजार** रुपये है। विनष्टीकरण माल 1891.406 कि0ग्रा0 तथा जमा कराया गया माल 11.020 कि0ग्रा0 **कुल माल 1902.426 कि0ग्रा0** कमिश्नरेट गाजियाबाद का निस्तारण हुआ जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कुल **कीमत 10 करोड़ 45 लाख 19 हजार 785 रुपये** मात्र है।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग का वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 18.07.2025 को थाना शालीमार गार्डन पर वादिया की लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्त उत्तर कुमार पुत्र स्व0 श्री कप्तान सिंह द्वारा वादिया के साथ दुष्कर्म कर यौन शोषण करने के सम्बन्ध में धारा 376/506 भादवि व 3(2)(5) एससीएसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 16.09.2025 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए अभियुक्त उत्तर कुमार पुत्र श्री कप्तान सिंह निवासी ग्राम बेहटा हाजीपुरा थाना लोनी बार्डर कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 52 वर्ष को यशोदा हॉस्पिटल कौशाम्बी गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उत्तर कुमार पुत्र श्री कप्तान सिंह उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

उत्तर कुमार पुत्र स्व0 श्री कप्तान सिंह निवासी ग्राम बेहटा हाजीपुरा थाना लोनी बार्डर कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 52 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त उत्तर कुमार पुत्र श्री कप्तान सिंह उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर दुष्कर्म कर यौन शोषण करने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा टप्पेबाजी की घटना का सफल अनावरण, घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया सामान बरामद।

दिनांक 26.08.2025 को थाना मोदीनगर पर वादी श्री नन्दाबल्लभ पंत रिटायर सब इंस्पैक्टर निवासी मोहन पार्क थाना मोदीनगर गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गयी कि 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मोटरसाइकिल पर आकर उनके घर में उनकी पत्नी से सोने के गहने साफ करने के बहाने धोखाधडी करते हुए वादी की पत्नी से सोने के दो कंगन चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल सुसंगत धारा -318(2)/305 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 16.09.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज व मैनुअल इन्पुट्स के आधार पर उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले अभियुक्त युसुफ उर्फ मोटा पुत्र शेर अली निवासी आशिफाबाद थाना किला परीक्षितगढ जिला मेरठ उम्र 30 वर्ष को तिबडा रोड से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी का सामान 01 कंगन बरामद करते हुये घटना में प्रयुक्त अभियुक्त से बरामद मोटरसाइकिल को सीज किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान घटना कारित करने का इकबाल किया है तथा बरामद कंगन के बारे में पूछताछ करने पर बताया कि उसने व उसके दोस्त आबिद पुत्र जाफर निवासी ग्राम असीलपुर थाना किठोर जिला मेरठ ने मोदीनगर के मोहन पार्क कालोनी के एक घर से ठगी करके दो कंगन चुराये थे। बंटवारा करने पर दोनों के हिस्से में एक-एक कंगन आया था जिसमें दूसरा कंगन आबिद के पास है। बरामद मोटरसाइकिल के बारे में पूछने पर बताया कि यह मोटरसाइकिल आबिद की है, इसी मोटरसाइकिल से हम दोनों ठगी का काम करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

युसुफ उर्फ मोटा पुत्र शेर अली निवासी आशिफाबाद थाना किला परीक्षितगढ जिला मेरठ उम्र 30 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग व अन्य चोरी की घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है व थाना परीक्षितगढ जनपद मेरठ में मारपीट के सम्बन्ध में 01 अभियोग व जनपद फिरोजाबाद में धोखाधडी सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

- 01 कंगन सोने का (चोरी किया गया)
- घटना में प्रयुक्त मोटसाइकिल हीरो एचएफ डिलक्स

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा अपराध समीक्षा एवं आगामी त्योहारों के दृष्टिगत कमिश्नरेट के समस्त पुलिस अधिकारियों के साथ गोष्ठी के सम्बन्ध में।

आज दिनांक 16.09.2025 को पुलिस आयुक्त, गाज़ियाबाद द्वारा अपराध समीक्षा एवं आगामी त्योहारों के दृष्टिगत विशेष सतर्कता के सम्बन्ध में गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय/अपराध, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था/यातायात, समस्त जोनल पुलिस उपायुक्त, अपर पुलिस उपायुक्त एवं समस्त सहायक पुलिस आयुक्त उपस्थित रहे।

गोष्ठी में पुलिस आयुक्त द्वारा जनपद में घटित अपराधों की गहन समीक्षा की गई तथा उनकी रोकथाम एवं प्रभावी निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। विशेष रूप से महिला एवं बाल सुरक्षा, साइबर अपराध, चोरी, लूट, वाहन चोरी एवं मादक पदार्थों की रोकथाम संबंधी प्रकरणों पर विस्तृत चर्चा की गई। तथा हाल ही में घटित अपराधों की विस्तृत समीक्षा की गई।

इसके अतिरिक्त, अपराधियों पर प्रभावी अंकुश हेतु बदमाशों की गिरफ्तारी, हिस्ट्रीशीटरों की निगरानी तथा अवैध गतिविधियों पर कठोर कार्रवाई करने पर बल दिया गया।

इसके अतिरिक्त महोदय द्वारा आगामी त्योहारों (नवरात्रि,रामलीला,दशहरा,दीपावली आदि) के दृष्टिगत निम्नलिखित आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए –

- संदेवशील क्षेत्रों की पहचान कर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात करना।
- यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु विशेष दल गठित करना।
- सीमावर्ती क्षेत्रों में चेकिंग अभियान को और अधिक प्रभावी बनाना।
- त्योहार सम्बन्धी आयोजनों में आयोजकों से समन्वय बनाते हुए सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराना।
- सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाओं/अफवाहों पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करना।

"गाजियाबाद पुलिस को तकनीक, पारदर्शिता और जनसहयोग के साथ अपराध नियंत्रण की दिशा में कार्य करना है। आगामी त्योहारों में शांति एवं सौहार्द बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है।"

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की भैंस बरामद।

दिनांक 15.09.2025 को थाना भोजपुर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की भैंस चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर सुसंगत धारा 305 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 16.09.2025 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त 1. इरफान उर्फ जुनैद पुत्र रियाज निवासी ग्राम मुकीमपुर थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष 2. शाकिर पुत्र मौ0हसन निवासी ग्राम मुकीमपुर थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष को थाना भोजपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की गई 01 भैंस

बरामद हुई। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि यह भैंस हमने गांव के ही गौरव के घेर से रात में मौका पाकर चोरी कर ली थी। आज हम इस भैंस को बेचने की फिराक में निकले थे कि पुलिस ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. इरफान उर्फ जुनैद पुत्र रियाज निवासी ग्राम मुकीमपुर थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष
2. शाकिर पुत्र मौ0हसन निवासी ग्राम मुकीमपुर थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी की गयी 01 जिन्दा भैंस बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना भोजपुर पर उक्त चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार/ बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना भोजपुर पुलिस टीम।